

कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांकः ५बी०स्था०व्य० / सी०टी०-०५(२०१७-१८)

दिनांकः

प्रेषकः

संजय कुमार, भा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन “01— वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा,” उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः— योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड सरकार का पत्रांक-29/ बी०टी०ई०-१२/२०१६-१७ / ११३/बजट राँची, दिनांक 27.02.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में “01—वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा,” उपशीर्ष के 17—मशीनरी एवं उपकरण इकाई में 1.50 लाख रु० की आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-29/ बी०टी०ई०-१२/२०१६-१७ / ११३/बजट राँची, दिनांक 27.02.2017 तथा विहार सरकार, वित्त विभागीय झाप संख्या—एम०-४-०५/९८ २५६१/वि० (२) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त ४-२३/२००३/ १८०० दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. यह आवंटन आपके कार्यालय पत्रांक 2515 दिनांक 21.09.2017 एवं सारंडा वन प्रमंडल, चाईबासा के पत्रांक 2224 दिनांक 10.10.2017 के आलोक में वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय चाईबासा के लाइब्रेरी में कांफेस हॉल के लिए ३ ए०सी० के क्य एवं स्थापित करने हेतु वन संरक्षक/वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारंडा वन प्रमंडल, चाईबासा को दिया जा रहा है।
5. आवंटित राशि का व्यय योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश एवं वित्तीय नियमों के आलोक में ही किया जाय।

आवंटन आदेश पत्र संख्या— BJAEDP/01-17-18/20EDP की प्रति अत्र—सह—संलग्न है।

अनु०-यथो०।

विश्वासभाजन,

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

झापांक: ६८०३३०५५० / सी०डी०-०५(२०१७-१८)

4689

दिनांक: २४.१०.१७

प्रतिलिपि ENVIS Centre, Ranchi को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

राजस्वालय बैचली

झारखण्ड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

वार्षिक वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु नियमित दराएं गए बजट शीर्ष के सामने अकिस राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - BJAEDP/01-17-18/20EDP

दिनांक -

23-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101010317	67893	JSRFOR114	150,000.00
	2406 - वानिकी वथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI.S.K.GUPTA (I.F.S.)	रुपये एक लाख पचास हजार
	101 - वन मंत्रकार्य, विकास तथा संवरोधण		R.C.C.F.JSR.	
	01 - बनों का विनाश, उन्नति एवं सुरक्षा			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	17 - मर्शिन एवं उपकरण			
	Establishment Expenditure			
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		



योग:

150,000.00

क्रमिक योग:

रुपये एक लाख पचास हजार

(SANJAY KUMAR)

PCCF, JHARKHAND, RANCHI

Principal Chief Conservator of Forests
Jharkhand, Ranchi